पर्यटन दृष्टि से आकर्षक स्थानों में बिहार का विशेष महत्व है । यह गौतम बुद्ध की पुण्य स्थली, महावीर के अहिंसा सिद्धान्त का प्रतिपादन, नालन्दा, राजगिर, सारनाथ आदि से विभूषित है । पर्यटन का विकास नवें एशियाई खेल समारोह के अवसर पर अच्छा संयोग है । पर्यटन विकास पर हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी कुछ सीमा तक निर्भर है । इस अवसर का लाभ उठा कर विदेशी अतिथियों को बिहार के सुन्दर, रमणीय प्रदेश की ओर ले जाने की ओर सरकार को विशेष कार्यवाही करनी चाहिए ।

(iv) NEED FOR DEVELOPMENT OF CHITRAKUT TOWN FALLING UNDER THE JURISDICTION OF UTTAR PRADESH AND MAEHYA PRADESH GOVERNMENTS.

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, चित्रकूट हमारे देश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है । चित्रकूट उत्तर प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के हिस्से में आता है । इस स्थान पर लाखों व्यक्ति देश के कोने-कोने से आते हैं । परन्तु, अभी तक इस स्थल के उत्थान एवं विकास हेतु कोई समुचित योजना नहीं बनाई गई है । इस क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन नहीं है, सड़कें उपयुक्त एवं पर्याप्त नहीं हैं । यहां तक कि आवागमन के लिए छोटे-छोटे पुलों का निर्माण नहीं किया गया है । डाक तार सेवा तथा दूर संचार सेवा सुविधाजनक नहीं है । इस क्षेत्र का पर्यटक विकास नहीं किया गया जब कि इस क्षेत्र में पर्वतीय स्थल भारी तादाद में उपलब्ध हैं। चित्रकूट में आने वाले यात्रियों को मूलभूप सुविधाओं से वंचित किया गया है । चूंकि पर्यटक स्थानीय आते हैं इस कारण उपेक्षित है । चित्रकूट द्विविध शासन में है । ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि चित्रकूट के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार का केन्द्र द्वारा अन्तर्राज्यीय प्राधिकरण तत्काल बनाया जावे जिस से चित्रकूट का आधुनिकतम विकास एवं उत्थान हो सके ।

(v) PROBLEMS OF RAILWAY EMPLOYEES OF STATUTORY STAFF CANTEENS.

SHRI BASUDEB ACHARYA (Bankura): In pursuant to Supreme Court's Order dated 22-10-80, the Ministry of Railways through their letter (W) 81 Cm 21 dt. 22-5-81 and 8-6-81 treated all employees of statutory staff canteens and Eleven Delhi bound non-statutory staff canteens (who were the petitioners of SLP No. 4132/1980) only as Railway employees and extension of the benefit of Railway staff was not made to all other staff canteen employees who were not only similarly placed but also same equal identical in qualification, nature and service conditions ets. Will the Government answer how on their behalf the Joint Directors of Estaolishment had submitted counter affidavit in S/C which challenged the prayers of AIRCEF on behalf of the vast majority canteen employees for equality and equal protection in law. Should not the Government act in a manner in obedience of Articles 14 and 16 of the Constitution treating all the employees of non-statutory canteen alike at par with those of fortunate 11 of Delhi when there remains on difference or distinction of character class catagory? The Calcutta High Court directed the Railway Administration to treat the Railway staff canteen employees regular Railway employee as far back as in 1974. The Order was Challenged by Railway Administration by preferring appeal in Supreme Court which not only upheld the judgment of the learned judges but very modestly remarked "The decision of the Calcutta High Court does not require to be interferred with". Then why not the recognition of the Railway Service to the